उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-847/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(198)-2021

लखनऊ: दिनांक: 02 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या- क0नि0-2-136/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(99)-2018 दिनांक 30 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके आगे की अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा संदेय विलंब फीस की कुल राशि, जो देय तिथि तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन कर दिया जाएगा-

(एक) जोकि दो सौ पचास रुपए से अधिक है जहां उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की कुल राशि शून्य है;

(दो) जो कि एक हजार रुपये से अधिक है, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि खण्ड (i) के अधीन आच्छादित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति हैं।

2. यह अधिसूचना तारीख 01 जून, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)

अपर मुख्य सचिव